संख्या–३९८ /XXXVI(1)/2013–6 एक(2)/06 टी0सी0

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2013

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के अधिकारियों के विभिन्न भत्तों/सुविधाओं में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6751/XVII-7/Admin.A/2013 दिनांक 04–12–2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0– 54 एक(1)/XXXVI(1)/ 2006-06 एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 तथा शासनादेश सं0– 108 /XXXVI(1)/2010-50/2009 दिनांक 21.05.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के स्वीकृत वेतन भत्तों में कतिपय संशोधन करते हुए निम्नलिखित वेतन भत्तों में वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **समाचार पत्र एवं पत्रिकाः–** इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0– 54 एक(1)/XXXVI(1)/ 2006-06(एक)(2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा प्रत्येक माह में 02 पत्रिकाओं हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 50/– के स्थान पर रू0 150/– (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रतिमाह होगी।

2. **पोशाक भत्ताः–** प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक 02 वर्ष में रू0 6000/– के स्थान पर रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि पोशाक भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी।

3. **वाहन ईधन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ताः–** सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में प्रतिमाह 100 लीटर पेट्रोल/डीजल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

4. **वर्दी धुलाई भत्ताः–** प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को वर्दी धुलाई भत्ता रू0 300/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

5. **बाहय न्यायालय भत्ताः–** प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को बाहय न्यायालय भत्ता रू0 150/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1,500/– (रू0 एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

6. **ड्राईगरूम का सुसज्जीकरणः–** उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा/न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 06 वर्ष में रू0 75,000/– (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आवास पर ड्राईग रूप के सुसज्जीकरण हेतु अनुमन्य होगी।

क्रमश.....2

3— उक्त भत्तों / सुविधाओं से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0—168NP/XXVII(5)/2013 दिनांक 13.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या— 385(1)/ XXXVI(1)/2013—6 एक(2)/06 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23— लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3— प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4— सचिव, सविचालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
5— समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
6— निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, श्रम न्यायालय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
7— अध्यक्ष, उत्तराखण्ड व्यापार कर अधिकरण, हरिद्वार रोड, रिस्पुना पुल से पहले, देहरादून।
8— अध्यक्ष, राज्य परिवाहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून।
9— सचिव, लोकायुक्त, 218—किशननगर (सिरमौर मार्ग), कौलागढ रोड, देहरादून।
10—निबन्धक, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, प्रथम तल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून।
11—सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड नैनीताल।
12—निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
14—महाप्रशासक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
15—अपर सचिव (विधि), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार।
16—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17—वित्त अनुभाग—5 / कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18—एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष मिश्र)
अपर सचिव